

Order Sheet [Contd]

Serve of the the serve of the serve of the serve

Case No. of 20 ...

Date of Order or Proceeding

101

F56. E. TOWER, TOWER Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

P PIDE NINGTA)

自治療

राज्य द्वारा एडीपीओं। अस्त अस्त अस्त वार्डिश्क वाह प्रयोगीय वस्त

अमियुक्त सहित अधिवक्ता श्री तेजपाल तोमर। 📉 📉 🚾 🖂 🦠 प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत हैं।

फरियादी गुड्डू उर्फ नरेन्द्रसिंह उप0। उसकी ओर से अधिवक्ता श्री एस०एस० तोमर ने मेमो पेश किया।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उमय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संमव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उमयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री पंकज शर्मा, जेएमएफसी गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उमय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उमय पक्ष दिनांक 06.10.17 को 3 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 27.10.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेत् पेश हो।

> (A.K.Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

उमयपक्ष पूर्ववत।

प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत घारा 320 द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन प्रव अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री आर०एस० तोमर एवं अभियुक्त की पहचान उनके अधिवक्ता श्री तेजपाल तोमर द्वारा की गई।

उमयपसी को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अमियुक्त से राजीनामा बिना किसी मय, दविब, लोम-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

Date of Order or Proceeding Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

अभियुक्त पर भा०द०वि० की धारा 504, 325 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अत राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 504, 325 भा०द०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिमूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है। आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अमिलेख में दर्ज कर प्रकरण अमिलेखागार में प्रेषित हो।

(ALK. Supta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)